न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 23/2018

बउनवान

रविन्द्र आयु 21 वर्ष पुत्र श्री हेमराज जाति–मीणा निवासी लेवा तहसील–बारां जिला–बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1– अरविन्द आयु 18 वर्ष पुत्र श्री हेमराज जाति–मीणा
2– लक्ष्मी आयु 23 वर्ष पुत्री श्री हेमराज जाति–मीणा
3– कमलेश आयु 43 वर्ष बेवा श्री हेमराज जाति–मीणा निवासीगण–ग्राम लेवा तहसील–बारां जिला–बारां
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील बनाराजगी तहसीलदार–बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 371 दिनांक 22.12.2010 वाके ग्राम लेवा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री तक्षराजसिंह हाडा अभिभाषक (रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3)

निर्णय दिनांक– 04.04.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट व रेस्पों0 की खातेदारी में ग्राम लेवा में आराजी ख0नं0 132, 133 कुल रकबा 2.13 है0 स्थित है। इसी प्रकार ख0नं0 38, 96,172,226,227,306,370,372,373,465 कुल 10 किता रकबा 12.58 हैक्टर स्थित है जिसमें सहखातेदारान् के रूप में अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 3 के राजस्व रेकार्ड में हिस्सा 1/5 निहित है। जिसका इन्तकाल खोलते समय रेस्पों क्रम–4 तहसीलदार, बारां ने बिना जॉच पडताल किये अपीलांट का नाम रविकान्त गलत दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम रविन्द्र है। अपीलांट के सरकारी रेकार्ड फोटो पहचानपत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड व अन्य जगह रविन्द्र नाम अंकित है। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से सरकारी सुविधाये प्राप्त करने व अपने हिस्से की भूमि का विकास कार्य करवाने में असुविधा हो रहीं है। अपितु अपीलांट उक्त इन्तकाल को निरस्त कराकर, रविन्द्र नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। विवादित आराजी पर पक्षकारान् अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त इन्तकाल नं0 371 दिनांक 22.12.2010 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20.10.2018 को पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर हुयी । इसके बाद नकल प्राप्त कर, अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 371 दिनांक 22.12.2010 ग्राम लेवा निरस्त किया जाकर, अपीलांट का नाम रविकान्त के स्थान पर रविन्द्र अंकित कर, पुनः इन्तकाल दर्ज किया जावे।

2– अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

रविन्द्र

स्थित है :–

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता श्री हेमराजजी की मृत्यु पर वारिसान के नाम इन्तकाल नं. 371 दिनांक 22.2.2010 ग्राम लेवा खाता संख्या 107 किता 10 रकबा 12.58 है0 हिस्सा 1/4 एवं खाता संख्या 135 किता 2 रकबा 2.13 है0 हिस्सा 1/5 का खोला गया है जिसमें अपीलांट का नाम रविकान्त दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट का वास्तविक एवं सहीं नाम रविन्द्र है। सरकारी रेकार्ड वोटर पहचानपत्र, आधारकार्ड, स्कूल रेकार्ड सभी में भी अपीलांट का नाम रविन्द्र हीं अंकित है। अपीलांट का नाम गलत दर्ज हो जाने से सरकारी सुविधा एवं भू सुधार करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा उक्त तस्दीकी इन्तकाल को निरस्त किया जाकर, अपीलांट का नाम रविन्द्र दर्ज कर, पुनः सहीं इन्तकाल दर्ज कर, राजस्व रेकार्ड में उसका नाम अमल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— इसके विपरीत रेस्पों0 अभिभाषक ने अपीलांट के कथन का समर्थन व्यक्त करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट का वास्तविक नाम रविन्द्र हीं है। यदि उसका नाम सहीं दर्ज किया जाता है कि उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

5— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक हेमराज पुत्र देवलालमीना सा0देह लेवा की मृत्यु पर वारिसान् के नाम फौती इन्तकाल संख्या 371 दिनांक 22.2.2010 ग्राम लेवा तस्दीक किया गया है। जिसमें अपीलांट का नाम रविकान्त(पुत्र) दर्ज किया गया है। अपीलांट ने अपना नाम रविकान्त के स्थान पर रविन्द्र दर्ज करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गयी है। अपने समर्थन में अपीलांट ने दस्तावेजात् यथा अंकतालिका, वोटर पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की गयी है जिसमें अपीलांट का नाम रविन्द्र अंकित है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 371 दिनांक 22.12.2010 वाके ग्राम लेवा तहसील—बारां निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं रेकार्ड से अपीलांट के वास्तविक नाम की जॉच कर, सहीं इन्तकाल दर्ज किया जावे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दिनांक 01.05.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास [illegible] जाकर सुनाया गया।

([illegible] राव)
जि[illegible] कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
(राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official